भारत सरकार
ग्रामीण विकास मंत्रालय
ग्रामीण विकास विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1163
(11 फरवरी, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए)

मनरेगा के अंतर्गत मजदूरी में अंतर

1163. सुश्री प्रणिती सुशीलकुमार शिंदे:
श्री सप्तगिरी शंकर उलाका:
श्री हरीश चंद्र मीना:
डॉ. धर्मवीर गांधी:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए राजस्थान सहित विभिन्न राज्यों में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के अंतर्गत मजदूरी में अनेक अंतरों के कारणों की पहचान की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;
(ख) मनरेगा के लिए बजट आवंटन में सरकार द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया क्या है;
(ग) योजना के लिए बजट आवंटन में पारदर्शिता और दक्षता बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं;
(घ) क्या सरकार मनरेगा के अंतर्गत मजदूरी दरों की गणना पद्धति को संशोधित करने की योजना बना रही है, जो वर्तमान में 2010-11 आधार वर्ष के साथ उपभोक्ता मूल्य सूचकांक-कृषि मजदूर (सीपीआई-एएल) पर आधारित है; और
(ङ) मनरेगा के वार्षिक बजट आवंटन के दौरान सरकार द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया क्या है और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
ग्रामीण विकास राज्य मंत्री
(श्री कमलेश पासवान)

(क) और (घ): महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (महात्मा गांधी नरेगा योजना) एक मांग आधारित मजदूरी रोजगार योजना है। यह ग्रामीण परिवारों के लिए आजीविका सुरक्षा के लिए विकल्प प्रदान करता है जब कोई बेहतर अवसर उपलब्ध नहीं होता है।

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (महात्मा गांधी नरेगा), 2005 की धारा 6(1) के अनुसार, केंद्र सरकार अधिसूचना द्वारा अपने लाभार्थियों के लिए मजदूरी दर निर्दिष्ट कर सकती है। इसके अलावा, अधिनियम की धारा 6 (2) में यह प्रावधान है कि जब तक केंद्र सरकार द्वारा किसी राज्य के किसी क्षेत्र के संबंध में मजदूरी दर तय नहीं की जाती है, तब तक कृषि मजदूरों के लिए न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 की धारा 3 के तहत राज्य सरकार द्वारा तय न्यूनतम मजदूरी को उस क्षेत्र पर लागू मजदूरी दर माना जाएगा। तदनुसार, अधिनियम की धारा 6(2) के प्रावधान के अनुसार योजना के प्रारंभ से लेकर वित्तीय वर्ष 2010-11 तक महात्मा गांधी नरेगा में मजदूरी दर का निर्धारण संबंधित राज्य सरकारों द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी के आधार पर किया जाता था।

हालाँकि, वित्तीय वर्ष 2011-12 से भारत सरकार ने कृषि श्रम के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई-एएल) का उपयोग करके मजदूरी दरों का निर्धारण शुरू कर दिया।

महात्मा गांधी नरेगा श्रमिकों को महंगाई से राहत दिलाने के लिए, ग्रामीण विकास मंत्रालय कृषि श्रम के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई-एएल) में परिवर्तन के आधार पर प्रत्येक वित्तीय वर्ष में मजदूरी दर में संशोधन करता है। श्रम ब्यूरो, शिमला द्वारा अधिसूचित यह सूचकांक विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए अलग-अलग है। यदि किसी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की गणना की गई मजदूरी दर पिछले वर्ष की मजदूरी दर से कम आ रही है, तो उसे पिछले वर्ष की मजदूरी दर को बनाए रखकर संरक्षित किया जाता है। मजदूरी दर प्रत्येक वित्तीय वर्ष की पहली अप्रैल से लागू की जाती है। वित्त वर्ष 2023-24 की तुलना में वित्त वर्ष 2024-25 के लिए मजदूरी दर में कुल वृद्धि लगभग 7% है।

हालाँकि, प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचित मजदूरी दर से अधिक मजदूरी प्रदान कर सकता है।

(ख), (ग) और (ड): महात्मा गांधी नरेगा योजना के लिए बजट आवंटन के संबंध में यह कहा जाता है कि आगामी वित्तीय वर्ष के लिए अनुमानित बजट अनुमान (बीई) वित्त मंत्रालय द्वारा निर्धारित समय-सीमा के अनुसार ग्रामीण विकास विभाग द्वारा तैयार किया जाता है। आगामी वित्तीय वर्ष के लिए बजट अनुमान तैयार करते समय विभिन्न कारकों को ध्यान में रखा जाता है, जिसमें अब तक जारी की गई केंद्रीय निधि, सृजित श्रम दिवस, पिछले वित्तीय वर्ष की लंबित देयताएं यदि कोई हो, वर्ष के दौरान मजदूरी दर में औसत वृद्धि के साथ-साथ सामग्री और प्रशासनिक लागत शामिल हैं।

अनुमानित बजट अनुमान को सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित किए जाने के बाद इसे निधि के आवंटन के लिए वित्त मंत्रालय के साथ साझा किया जाता है। मंत्रालय द्वारा अनुमानित मांग और निधियों की उपलब्धता के आधार पर, केंद्रीय बजट में आवश्यक बजटीय आवंटन किया जाता है। यह उल्लेखनीय है कि महात्मा गांधी नरेगा योजना एक मांग आधारित योजना है, इसलिए व्यय की गति और जमीनी स्तर पर काम की मांग के आधार पर भारत सरकार आवश्यक निधि उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। तदनुसार, ग्रामीण विकास विभाग द्वारा अनुमानित आवश्यकताओं के आधार पर, वर्ष के दौरान संशोधित अनुमान (आरई) / अंतिम बजट अनुमान चरण में किए गए आवंटन को बढ़ाया जाता है।

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को "सहमत श्रम बजट" के आवंटन के संबंध में, यह उल्लेखनीय है कि चालू वित्त वर्ष के अक्टूबर माह में, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से अनुरोध है कि वे उचित प्रक्रिया का पालन करने के पश्चात आगामी वित्त वर्ष के लिए वार्षिक कार्य योजना का प्रस्ताव भेजें। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त प्रस्ताव के आधार पर सचिव (ग्रामीण विकास) की अध्यक्षता में एक अधिकार प्राप्त समिति "सहमत श्रम बजट" को अनुमोदन देती है। अधिकार प्राप्त समिति में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के ग्रामीण विभाग के प्रभारी सचिव भी सदस्य के रूप में शामिल हैं। यह "सहमत श्रम बजट" बेहतर नियोजन के लिए एक सांकेतिक संख्या है, ताकि मांग के अनुरूप समय पर काम उपलब्ध कराया जा सके। वर्ष के दौरान, नामांकित परिवारों द्वारा रोजगार की मांग के आधार पर "सहमत श्रम बजट" को संशोधित किया जाता है।

******